

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

सूत्राव नं०:- 01501226005

ईमेल-sdo.srikanpur@rajasthan.gov.in

दिनांक :- 03/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2021/411
तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषय:- प्रकरण संख्या 10/2020 अनवान हरदीप सिंह आदि बनाम
गुरचरण सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मे पारित
निर्णय दिनांक 29.10.2021 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहमति पत्र के आधार साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 टी की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 7/8 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 6, 15, 16, 25 प्रत्येक के पूर्वी दिशा में 0.016-0.016 हैक्टर रास्ता, खाता संख्या 13/12 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक के उत्तरी दिशा में 0.016-0.016 हैक्टर रास्ता, खाता संख्या 13/12 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5 के दक्षिण-पूर्व दिशा में 0.030 हैक्टर रास्ता, किला नम्बर 4 के दक्षिणी-पूर्वी कोने में 0.001 हैक्टर रास्ता, किला नम्बर 7 में दक्षिण-पूर्व दिशा में 0.022 हैक्टर रास्ता, किला नम्बर 8, 9, 10 प्रत्येक की दक्षिण दिशा में 0.008-0.008 हैक्टर रास्ता, किला नम्बर 14, 13, 12, 11 प्रत्येक की उत्तरी दिशा में 0.008-0.008 हैक्टर रास्ता कुल 0.253 हैक्टर चालू रास्ता को गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर

